हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 84

शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020/20 भाद्रपद,1942 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न :

तारांकित प्रश्न संख्या : 2287 व 2605 (स्थगित) तथा 3022 से 3026 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए। तारांकित प्रश्न संख्या : 3027 से 3064 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न :

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1047 (स्थगित) तथा 1122 से 1142 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने माननीय अध्यक्ष से अनुरोध कर मामला उठाया कि श्री सुन्दर सिंह ठाकुर, विधायक कुल्लू के कुल्लू स्थित आवास/होटल पर सत्रों के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा, जिनमें श्री महेश्वर सिंह जी भी शामिल हैं, अव्यवस्था पैदा की जाती है। सरकार को विधायकों के साथ ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और विधायकों एवं उनके परिवार की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना चाहिए।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर ने भी अपनी ओर से सदन को इस विषय में विस्तृत जानकारी दी और अनुरोध किया कि कुल्लू स्थित उनके आवास पर उनके जान-माल की रक्षा की जाए।

मुख्य मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा कि दिनांक 10 सितम्बर, 2020 को श्री सुन्दर सिंह सहित कुछ विधायक इस विषय में उनसे मिले थे। उन्होंने कहा कि यह घटना सुश्री कंगना रणावत के मुम्बई स्थित कार्यालय को तोड़ने के विरोधस्वरूप हुई है। पिछले कल कुल्लू में बहुत से लोग जिलाधीश से मिलने गए और यह मामला चर्चा का विषय बना की अगर सुश्री कंगना रणावत का कार्यालय अवैध था तो श्री सुन्दर सिंह ठाकुर का होटल भी अवैध है। मुख्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन श्री सुन्दर सिंह ठाकुर के घर पर नहीं बाल्कि उनके होटल के समीप सरकारी ज़मीन पर खड़े होकर किया गया है। इसमें मामूली नारेबाजी के बाद लोगों द्वारा उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) को ज्ञापन दिया गया है तथा दोनों और से एफ.आई.आर. भी दर्ज़ हुई है। सरकार ने प्रशासन से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मुख्य मंत्री ने आह्वान किया कि राजनीतिक मामलों में विधायकों के निवास पर जाकर उनके परिवार के लोगों को परेशान किए जाने जैसे तौर-तरीके सभी पक्षों को त्यागने होंगे।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री सुख राम चौधरी, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 व वर्ष 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2020-21)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 129वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 130वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का 131वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(iv) समिति का 132वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(v) समिति का 133वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(vi) समिति का 134वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(vii) समिति का 135वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(viii) समिति का 136वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(ix) समिति का 137वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(x) समिति का 138वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xi) समिति का 139वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xii) समिति का 140वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xiii) समिति का 141वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xiv) समिति का 142वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (राज्य के

वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xv) समिति का 143वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xvi) समिति का 144वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है;

(xvii) समिति का 145वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;

(xviii) समिति का 146वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है;

(xix) समिति का 147वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है;

(xx) समिति का 148वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है; और

(xxi) समिति का 149वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (राज्य के वित्त/सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति के 75वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 21वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश विद्युत विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 40वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 60वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद् सीमित से सम्बन्धित है।

(3) **श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति का 24वां मूल प्रतिवेदन जोकि भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री हीरा लाल, सभापति, सामान्य विकास समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति का 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(5) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,** (वर्ष 2020-21) ने समिति का 21वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 8वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

श्री राजेन्द्र राणा ने समाचार-पत्रों की सुर्ख़ियों में छाए रहे मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन द्वारा फर्जी डिग्रियां बांटने संबंधी मामले पर चर्चा की एवं सरकार से इस विषय में समुचित कदम उठाने का अनुरोध किया।

मुख्य मंत्री ने कहा कि जहां सरकार ने प्रदेश में पहले भी ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अपराधियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है वहीं इस मामले में भी विशेष अन्वेषण दल गठित कर समुचित कार्रवाई अमल में लाई गई है।

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे ऐसे किसी भी मामले को नियमों के अंतगर्त सूचना देकर ही सदन में उठाएं।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिनांक 7 सितम्बर, 2020 को अमर उजाला में छपे समाचार शीर्षक "ज़मीन विवाद में गोली मारकर की पटवारघर के चौकीदार की हत्या" से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(01.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.15 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई।)

बैठक प्रारंभ होते ही **श्री मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष** ने मुख्य मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कोरोना महामारी के कम्युनिटी स्प्रेड होने के बारे समाचार पत्रों में दिए वक्तव्य पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा -

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पत्रकारों ने उनसे कोरोना महामारी की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था और वस्तुस्थिति यही है कि इस बीमारी का कम्युनिटी स्प्रेड प्रारम्भिक चरण में है।

मुख्य मंत्री ने कोरोना महामारी के कम्युनिटी स्प्रेड के प्रारम्भिक चरण में होने के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी तक प्रदेश की जनता की ओर से सरकार को इस रोग के फैलाव को रोकने हेतु भरपूर सहयोग मिला है और वह आगे से भी इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कोरोना को लेकर जनता को जहां और अधिक सजग रहने की अवश्यकता है वहीं सरकार भी इस दिशा में अपने बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रही है।

5. <u>विधायी कार्य</u>

(I) सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 11) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) पुरःस्थापित हुआ।

(iii) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री द्वारा प्राधिकृत शहरी विकास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

(iv) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री द्वारा प्राधिकृत शहरी विकास मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री सुखविन्द्र सिहं सुक्खु ने खण्ड 2 पर संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की -

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. कर्नल इन्द्र सिंह
2. श्री राकेश सिंघा
3. श्री जगत सिह नेगी
4. श्री नरेन्द्र ठाकुर

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन वापिस हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 और 11 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश कतिपय अत्यावश्यकताओं में विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और भत्तों का विनियमन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 10)" पारित हुआ।

(ii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी ने खण्ड 2 पर संशोधन प्रस्तुत किया एवं चर्चा की।

सरकार की ओर से खण्ड 8 पर आए संशोधन पर भी चर्चा हुई।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री सतपाल सिंह रायजादा

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उतर दिया।

श्री रमेश चंद ध्वाला ने स्पष्टीकरण मांगा।

शहरी विकास मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

श्री जगत सिंह नेगी ने स्पष्टीकरण मांगा।

शहरी विकास मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

श्री जगत सिंह नेगी द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापिस हुआ।

सरकार की ओर से प्रस्तुत संशोधन स्वीकार हुआ।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8)" पारित हुआ।

(iii) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा ने खण्ड 2 पर संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

सरकार की ओर से भी खण्डों के क्रम तथा खण्ड 2 पर संशोधन दिए गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
2. श्री राकेश पठानिया, वन मंत्री
3. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल

शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा की ओर से दिए गए संशोधन अस्वीकार हुए।

सरकारी संशोधन स्वीकार हुए।

खण्ड 2 संशोधित रूप में व खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12)" को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 12)" संशोधित रूप में पारित हुआ।

(iv) **श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी व श्री राकेश सिंघा ने खण्ड 2, 3, 4, व 5 पर संशोधन प्रस्तुत किए एवं चर्चा की।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया-

1. श्री आशीष बुटेल
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

शहरी विकास मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने स्पष्टीकरण मांगा।

संशोधन वापिस हुए।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, और 7 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मन्त्री ने प्रस्ताव किया "हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 13)"पारित हुआ।

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 6.00 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

(v) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि "हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14)" पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी ने खण्ड 3 पर संशोधन प्रस्तुत किया एंव चर्चा की -

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
2. श्री आशीष बुटेल

उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री जगत सिंह नेगी व श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने स्पष्टीकरण मांगे।

उद्योग मंत्री ने सपष्टीकरण दिया।

संशोधन वापिस हुआ।

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री ने प्रस्ताव किया "हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14)" को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

"हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 14)" पारित हुआ।

श्री जगत सिंह नेगी ने दिनांक 10 सितम्बर, 2020 की रात को राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर मजदूरों के पास e-pass होने के बावजूद भी चेकिंग के दौरान उन्हें तंग करने व सारी रात रोके रखने का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के इस व्यवहार से सेब अर्थ-व्यवस्था को नुकसान पहुंचने की सम्भावना है।

श्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में लाएंगे तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

10. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री बलबीर सिंह** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की -

"प्रदेश में लोक मित्र केन्द्रों में हो रही धोखाधड़ी पर यह सदन विचार करे।"

डॉ0 राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री अरुण कुमार ने स्पष्टीकरण मांगा।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

सदन की बैठक 05.30 बजे अपराह्न सोमवार, 14 सितम्बर, 2020 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई ।